

एनएफएसए रैंकगि 2022

प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधनियम, राज्य रैंकगि सूचकांक, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) ।

मेन्स के लयि:

एनएफएसए इंडेक्स रैंकगि का महत्त्व, राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधनियम, 2013, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा, सरकारी नीतयिँ एवं हसतक्षेप

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013 के लयि राज्य रैंकगि सूचकांक का पहला संस्करण जारी कयिा गया ।

सूचकांक के बारे में:

परचिय:

- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में NFSA के कार्यान्वयन और वभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति के दस्तावेजीकरण का प्रयास करता है ।
- यह राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों द्वारा कयि गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों एवं केंद्रशासति प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग एन्वायरनमेंट व स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है ।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक NFSA वतिरण पर केंद्रति है और इसमें भवषिय में खरीद [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना \(PMGKAY\)](#) वतिरण शामिल होंगे ।

मूल्यांकन का आधार:

- राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों की रैंकगि के लयि सूचकांक का निर्माण तीन प्रमुख स्तंभों पर कयिा गया है, [जलकषति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली \(TPDS\)](#) के माध्यम से NFSA के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है । ये स्तंभ हैं:
 - i) NFSA - कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधनियम के प्रावधान
 - ii) डलिवरी प्लेटफॉर्म
 - iii) पोषण संबंधी पहल

राज्यों का प्रदर्शन:

सामान्य श्रेणी के राज्य:

- ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं ।

वशेष श्रेणी के राज्य:

- त्रपुरा वशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हमिलयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है ।
- हमिचल प्रदेश और सक्रिकमि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं ।

सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:

- पंजाब, हरयिणा और दलिली सबसे नचिले पाँच राज्यों में शामिल हैं ।

IMPLEMENTING FOOD SECURITY

How the 20 'general category' states ranked in terms of NFSA implementation

TOP THREE

Rank	State	Index score
1	Odisha	0.836
2	Uttar Pradesh	0.797
3	Andhra Pradesh	0.794

BOTTOM THREE

18	Delhi	0.658
19	Chhattisgarh	0.654
20	Goa	0.631

सूचकांक का महत्त्व:

- अभ्यास के नषिकर्षों से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग तथा ePoS इंस्टॉलेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो सुधारों की मज़बूती और मानकों को दोहराता है।
 - हालाँकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कुछ क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य खाद्य आयोगों के कार्यों को अच्छी तरह से संचालित करने एवं उनका संचालन करने जैसे अभ्यास, अधिनियम की वास्तविक भावना को और मज़बूत करेंगे।
- इससे राज्यों के बीच उनके प्रदर्शन को बेहतर करने के लिये स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा मल्लिगा।

सूचकांक से संबंधित चुनौतियाँ:

- इसमें NFSA के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है।
- सूचकांक केवल TPDS संचालन की दक्षता को दर्शाता है, यह किसी नशचिति राज्य या संघ क्षेत्र में **भूख, कुपोषण** या दोनों के स्तर को नहीं दर्शाता है।

ओडिशा रैंकिंग का महत्त्व:

- ओडिशा ने वर्ष 2015 में राज्य में **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** के संचालन हेतु मज़बूत एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण के साथ **NFSA को अपनाने का नरिणय** लिया।
- 25 करोड़ डिजिटल लाभार्थियों के **डेटाबेस** को सार्वजनिक किया गया है साथ ही और **378 राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) केंद्र**, **314 ब्लॉकों** तथा **64 शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** के डेटा को अद्यतन किया गया है।
- इसके अलावा खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग की 152 खाद्य भंडारण सुविधाओं को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है, जिसमें 1.87 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न की **रीयल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग** राज्य भर में 12,133 उचित मूल्य स्टोरों को भेजी गई है।
- जुलाई 2021 से राज्य भर में **वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC)** कार्यक्रम शुरू किया गया।
 - इसके लागू होने के बाद PDS लाभार्थी अब खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये अपनी पसंद और सुविधा के किसी भी उचित मूल्य के राशन की दुकान या खुदरा विक्रेता को चुन सकते हैं।
 - लगभग 1.10 लाख परिवार अंतर-राज्यीय सुविधा के माध्यम से राशन प्राप्त कर रहे हैं और 533 परिवारों को हर महीने अंतर-राज्यीय कार्यक्रम के माध्यम से राशन प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):

- अधिसूचति:** 10 सितंबर, 2013।
- उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गरमिपूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना है।
- कवरज:** **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** के तहत ग्रामीण आबादी की 75 प्रतिशत और शहरी आबादी की 50 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हसिसे को कवर करता है।
- पात्रता:**

- राज्य सरकार के दशा-नरिदेशों के अनुसार, लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमकिता वाले परिवार ।
- **अंत्योदय अनन योजना** के तहत कवर कथि गए परिवार ।

■ **प्रावधान:**

- प्रतमिह **प्रतव्यक्त 5 कलिगग्राम खाद्यान्न**, जसिमें चावल 3 रुपए कलि, गेहूँ 2 रुपए कलि और मोटा अनाज 1 रुपए कलि प्रदान करना ।
- हालाँकि **अंत्योदय अनन योजना** के तहत मौजूदा **प्रतमिह प्रतपरिवार 35 कलिगग्राम खाद्यान्न** प्रदान करना जारी रहेगा ।
- **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली** माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म से **6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ** प्रदान कथि जाने का प्रावधान है ।
- **14 वर्ष तक के बच्चों के** लथि भोजन ।
- **खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति** होने की स्थतिमें लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना ।
- **ज़िला और राज्य स्तर पर** शकियत नविरण तंत्र स्थापति करना ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 के तहत कथि गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजथि: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सडि वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं ।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कथि जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखथि होगी ।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं ।

उपर्युत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सार्वजनिक वतिरण प्रणाली और लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधति कथि गया है । 5 जुलाई, 2013 को अधनियमति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA) ने खाद्य सुरक्षा में कल्याण आधारति दृष्टिकोण के बदलाव को चहिनति कथि ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013 की मुख्य वशिषताएँ:

- 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को TPDS के तहत प्रतमिह 5 कलिगग्राम प्रतव्यक्त की समान पात्रता के साथ कवर कथि जाएगा ।
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल वकिस सेवाओं (ICDS) तथा मध्याहन भोजन (MDM) योजना के तहत नरिधारति पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे । 6 वर्ष तक के कुपोषति बच्चों के लथि उच्च पोषण मानदंड नरिधारति कथि गए हैं ।
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ भी कम-से-कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ पाने की हकदार होंगी ।
- NFSA के कार्यान्वयन से पहले राज्य सरकारों द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी कथि जाते थे जैसे कि गरीबी रेखा से ऊपर (APL), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड अलग-अलग रंगों के होते हैं । NFSA, 2013 के अनुसार, APL और BPL समूहों को फरि से दो श्रेणियों- गैर-प्राथमकिता और प्राथमकिता में वर्गीकृत कथि गया है, **अतः कथन 1 सही नहीं है ।**
- **राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बडी महिला** को घर की मुखथि होगी, **अतः कथन 2 सही है ।**
- गर्भवती महिलाएँ तथा स्तनपान कराने वाली माताएँ 600 कैलोरी ऊर्जा एवं प्रतदिनि 18-20 ग्राम प्रोटीन के पूरक आहार के तौर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टफाइड फूड और/या एनर्जी डेंस फूड के रूप में राशन प्राप्त करने की हकदार हैं । **अतः कथन 3 सही नहीं है ।**

अतः वकिलप (b) सही है ।

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

